राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान जयपुर

क्रमांकः ई–33 / प्रयो0सहा0 / सीधी भर्ती / (एफ–109 / 119) / 2018 / 636 दिनांकः 28/11/18

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक 629 दिनांक 27.11.2018 में आशिंक संशोधन कर प्रतिलिपि कम संख्या–10 एंव 12 में मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, अलवर के स्थान पर जालौर पढा जावें ।

आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा ।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः ई–33 / प्रयो0सहा0 / सीधी भर्ती / (एफ–109 / 119) / 2018 / 636 दिनांकः 28/11/18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप– 3) विभाग, राज. जयपुर।
5. निदेशक, (जन स्वा. / प.क.), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, राजस्थान जयपुर।
6. जिला कलेक्टर, जालौर।
7. श्री श्याम आर्य, अतिरिक्त महाधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
8. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक(प्रशा0) मुख्यालय एवं समन्वयक।
9. संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक।
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर को प्रेषित कर लेख हैं कि अभ्यर्थी से संबंधित मूल आवेदन पत्र की छाया प्रति एवं संलग्न दस्तावेज आदि दिनाँक **28.11.2018** तक विशेष वाहक भिजवाकर निदेशालय से प्राप्त करें तथा निदेशालय के आदेश संख्या 390 दिनांक 18.09.2015 की पालना में तत्काल जिला कलेक्टर महोदय से सम्पर्क कर कमेटी की अध्यक्षता हेतु जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि मनोनित करवाऐं तथा समिति की बैठक आयोजित करवाकर निदेशालय के आदेश क्रमांक 391 दिनाँक 18.09.2015 में वर्णित समस्त बिन्दुओं तथा निम्नांकित बिन्दुओं पर सत्यापन / परीक्षण की कार्यवाही करके अभ्यर्थी को उनको कार्यग्रहण करावें :–
   (i) अभ्यर्थी का जिस जाति वर्ग(ओबीसी / एसबीसी / एससी / एसटी / एससी टीएसपी / एसटी टीएसपी / सहरिया) में चयन हुआ हैं उसके संबध में कार्यग्रहण तिथि को वैद्य मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने एवं उसके सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावे।
   (ii) अभ्यर्थी का चयन ओबीसी / एसबीसी वर्ग में होने पर कार्यग्रहण तिथि को वैद्य नवीनतम जाति प्रमाण पत्र (नॉन क्रिमीलेयर) प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण करावें।
   (iii) शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर एवं सही पाये जाने पर ही कार्यग्रहण कराया जावें।
   (iv) अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में अंकित अंको तथा आवेदन के साथ प्रस्तुत अंकतालिका की छायाप्रति के आधार पर मेरिट में अंक उल्लेखित किये गये है। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल अंकतालिकाओं के अंको में भिन्नता हो तो कार्यग्रहण नही कराया जावे।
   (v) राज्य एवं राज्य के बाहर के शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अध्याधीन कार्यग्रहण करावे तथा संबंधित संस्था से सत्यापन हो जाने के पश्चात ही प्रार्थी के मूल दस्तावेज लौटावें।
   (vi) अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में दिये गये तथ्य तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो के सही होने बाबत संलग्न प्रपत्र में प्रस्तुत कराना होगा।
   (vii) दस्तावेजो में किसी भी प्रकार की कांट–छांट / कूटरचित हो तो तत्काल निदेशालय को अवगत करावें एवं कार्यग्रहण नही करावें।
   (viii) उक्त निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रचलित नियमों की पालना सुनिश्चित करें।
11. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की बेवसाईट पर अपलोड करें।
12. संबंधित चयनित अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता हैं कि वह सर्वप्रथम अपने मूल दस्तावेजों के साथ अपनी उपस्थिति संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर के कार्यालय में प्रस्तुत करेगें। संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जिला कलक्टर के प्रतिनिधि की अध्यक्षता में गठित उक्त समिति की अभिशंषा पश्चात ही अभ्यर्थी को पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण की अनुमति प्रदान की जावेगी।
13. आदेश पत्रावली / निजी पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर